[Shri A. C. Guha]

leave to introduce a Bill further to amend the Central Excises and Salt Act, 1944.

Mr. Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Central Excises and Salt Act. 1944."

The motion was adopted.

Shri A. C. Guha: I introduce* the Bill.

UNTOUCHABILITY (OFFENCES) BILL—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Dr. Kailas Nath Katju on the 26th August, 1954:—

"That the Bill to prescribe punishment for the practice of untouchability or the enforcement of any disability arising therefrom, be referred to a Joint Committee of the Houses consisting of 49 members. 33 from this House, namely, Shri Upendranath Barman, Shri Narayan Sadoba Kajrolkar, Shri T. Sangana, Shri Pannalall Barupall, Shri Naval Prabhakar, Shri Ajit Singh, Shri Ganeshi Lal Chaudhary, Shri Bahadurbhai Kunthabhai Patel, Shrimati Minimata, Shri Motilal Malviya, Shri Dodda Thimmaiah, Shri Rameshwar Sahu, Shri M. R. Krishna, Shri Ram Dass, Shri Nemi Saran Jain, Pandit Algu Rai Shastri, Shri Shree Narayan Das, Shri S. V. Ramaswamy, Shri Resham Lal Jangde, Shri Balwant Nagesh Datar, Shri P. T. Punnoose, Shri Mangalagiri Nanadas, Shri P. N. Rajabhoj, Rt. Rev. John Richardson, Shri A. Jayaraman, Shri V. G. Deshpande, Shri B. S. Murthy, Shri Vijneshwar Missir, Shri R. Velayudhan, Shri N. M. Lingam, Shri Mohanlal Saksena, Shri N. C Chatterjee and Dr. Kailas Nath Katju and 16 members from the Rajya Sabha;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee;

that the Committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next Session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees will apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

that this House recommends to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of members to be appointed by the Rajya Sabha to the Joint Committee."

Shri Bogawat (Ahmednagar South): I thank you for allowing me an opportunity to speak on this Bill. I have tabled an amendment to the effect that this Bill should be referred to a Select Committee consisting solely of Members of this House. The reason for this is that we are the representatives of the people, directly returned to this House by the voters whose wishes and interest we know well. So, it is quite essential that the Committee should consist only of members of Lok Sabha. It is no use having a Joint Select Committee of both Houses, especially in Bills of this nature. The Rajya Sabha is a House of elders. and if they have any valuable contributions to make to the measure, they have ample opportunity to do so, when the measure as passed by us goes to them. To have Joint Select Committees of both Houses every now and then does not serve any useful purpose. I am sure the Home Minister will consider my request.

Having said that, I come to the Bill itself. Untouchability is an evil which

*Introduced with the recommendation of the President.

has crept into Hindu society since long. According to Hindu religion itself there is no untouchability. Even among the Jains, the Buddhists and the Sikhs, no untouchability is accepted by their religions. But owing to custom and usage this scourge of untouchability has crept into our society.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair.*]

The Father of the Nation dedicated his whole life to root out this evil from Indian society and while considering this measure the whole picture of his life unfolds itself before our eyes. He took every opportunity available to him to live in Harijan colonies and he adopted a Harijan girl as a member of his family. We cannot also forget as to how on the issue of separate electorates for the Harijans he was almost prepared to lay down his life. All these things clearly go to show as to how very necessary it is that untouchability must disappear from our country and from our society and there must be a new order established. Liberty must carry along with it equality, fraternity and brotherhood.

Unless this is done. I do not think the conditions of the Harijans or the untouchables would be improved. I do not think, Sir, that by bringing this legislation alone, the conditions of the Harijans would be improved. As a first step to the amelioration of the condition of the Harijans, their economic conditions must be improved. Clause (4) of article 15 of our Constitution says:

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

No doubt some States are doing their utmost for the amelioration of the condition of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. But that is not the case in all the States. In order to raise the condition of these unfortunate people, every State must see that Scheduled Caste people are given free education up to the highest level. If that is done, there would be a number of persons among them who would be high-placed socially and this itself would lead to their upliftment.

Then again clause (4) of article 16 of our Constitution says:

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

This is a very important provision Several hon. Members have urged that Scheduled Castes should be represented on the Public Service Commissions. I am sorry to say that some excuse was given some time or the other saying "Oh, there are no efficient people, therefore it is not possible to appoint them". But it is a lame excuse. Even if they are not very efficient, let some mistakes be committed by some; let even ordinary people be appointed in such posts where they can raise the status of Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. Unless that is done, I do not think the conditions of these people would be improved. That is the key-note of the problem and I would request the hon. the Home Minister to consider this suggestion and make an effort in this direction. If that effort is made, I think nobody will ask whether the person is an untouchable or belongs to a particular community or a low community and all these things. So, that is the thing which must be done for the uplift of the Scheduled Caste people.

Then, they must have good houses. They must be rehabilitated, and some grant must be given to the Harijans and Scheduled Caste people if they want to build houses in the locality of the other people. That is also

[Shri Bogawat]

essential. And the most important thing is the land question. Unless their economic conditions are improved, it is useless to bring even such a Bill as the Untouchability Bill. First, they must maintain themselves. There are so many government lands, and even though some States try to give the lands to the Harijans, I am very sorry to say that the lands are given for one year and when the Harijan improves the land some forfeiture clause is brought into effect and the land is taken back. This is a very bad thing. Give the lands for five or ten years. Allow them to improve the lands and cultivate the lands. Give them some monetary help, so that they can have implements and bullocks. If these things are done I think the social status of the Scheduled Caste people would be improved and there would be emancipation of these people; not otherwise. The mere bringing in of some measure so as to allow them to go to the temples or hotels or places of entertainment will not do, though that is also essential. I do not mean to say that that is not essential, because article 17 of our Constitution has declared that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. And the enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law. Therefore, this is the Bill brought before us for that purpose.

I am very glad that our Home Minister said the other day that untouchability should be banished from this land root and branch. But how can untouchability be banished root and branch without doing all these other things, that is, through raising their economic conditions? That is the most essential thing.

Shri Velayudhan (Quilon *cum* Mavelikkara—Reserved—Sch. Castes): Why not abolish caste?

Shri Bogawat: Yes, that is also a necessity, abolishing caste. I request the hon. the Home Minister to give a subsidy or reward for inter-marriages with Harijans. If any person marries a Harijan girl, or if any Harijan youngman marries a high caste girl, there should be some reward or present given to such a person. If that is done, that would be a very great thing.

The Minister of Home Affairs and States (Dr. Katju): I imagine you will also suggest rewards for the children born, because that will be a matter of great importance.

Shri Bogawat: I am very sorry. I am very keen to say that these things should not be taken very lightly. They are very important matters. They should be considered very seriously. And if the Home Minister wants to take them very lightly, I am very sorry.

Dr. N. B. Khare (Gwalior): I am prepared to marry a Harijan girl. Let me have a reward.

Shri Bogawat: Nobody would give you a girl at this age, at the age of seventy!

Shri Syamnandan Sahaya (Muzaffarpur Central): We are afraid no girl will look at him!

Shri Sadhan Gupta (Calcutta-South-East): He should take Shri D. C. Sharma's permission for it!

Shri Raghuramaiah (Tenali): May I know whether this is not a reflection on a Harijan girl?

Dr. N. B. Khare: Not at all; do not misunderstand me.

Shri Bogawat: There is a general awakening about untouchability among the intelligentsia the credit for most of which goes to the Herculean efforts made by Mahatma Gandhi. But the masses are still very backward in this respect and require to be awakened from their deep slumber. How can

the masses be awakened? That is the question. I think there must be a great propaganda, propaganda by non-officials as well as officials. The officials nowadays come in contact with the public so far as our National Plan, community projects and other schemes are concerned. So I request the Government to instruct their officers to do propaganda regarding the removal of untouchability and the disabilities arising therefrom. So also it is the duty of us all, non-officials and workers, to do great propaganda throughout the length and breadth of our country. If we try our best to do this it would have very good effect; not otherwise. Also, some persons must come forward and dedicate their whole life for this cause. If these things are done I think the question of removing untouchability will be solved very soon.

As regards the Bill I want to give certain instances. In the States of Ajmer and Bhopal not only are Scheduled Caste people considered to be untouchables but even the Scheduled Tribes people are. There must be some provision in this regard.

Similarly, among the Jains or Buddhists, no untouchability is existent, but on account of custom and usage they also consider untouchability. So, in all the clauses where it is mentioned "of the same religious denomination", I think we should say that "same religious denomination" means Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists. That should be included there.

I wanted to say many things about hotels etc. and how Harijans are ill-treated, how they do not get even water to drink. In my district in 1952-53 when there was scarcity of water, it was difficult for these people to get even water for drinking. And in spite of the Act passed by the Bombay Government, the Bombay Government had very reluctantly to appoint servers for serving the water and pay for them. Because, if they had allowed the Harijans at the wells in those villages wherein there is too much untouchability, the other people would not have taken the water and there would have been a great difficulty. These are the conditions in the villages and we must therefore have very good propaganda.

As regards the punishment, under clauses 8, 9 and the other clauses, the punishment is only six months' imprisonment and Rs. 500 fine. I think it should be raised to one year's imprisonment and one thousand rupees fine. Light punishment is of no use.

The offence is made cognizable. But there are factions in villages and ordinary constables will be inclined to take some sides. There are also false allegations made against a person. So, I suggest that the offences should be investigated at least by an officer not below the rank of a sub-inspector. There should be a clause like this to avoid all these harassments and factions, etc.

I am very glad to see that this Bill has been brought by the Home Minister. It would be of much use to raise the status of Harijans socially and the social disabilities would be removed if this Bill is passed. I support the Bill.

श्री राम दास (होशियारपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमान जी, जो मोशन इस वास्ते पेश किया गया है कि इसके मुताल्लिक राय मालूम की जाय कि अनटचेबिलिटी दूर करनी चाहिये या नहीं, मैं उस मोशन का विरोध करता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे देश में इस वक्त इतनी जागृति हो चुकी है कि किसी जगह पर भी इस किस्म के लोग नहीं हैं जो इस बिल की मुखालिफत करेंगे। हर जगह पर लोग यह महसूस करते हैं कि जितनी जल्दी यह बुराई हमारे मुल्क से दूर हो सके उतनी जल्दी हमें इसे दूर करना चाहिये। इसलिये अगर यह बिल फिर लोगों के पास यह मालूम करने के लिए भेजा जायगा कि उनकी क्या राय है तो मैं समझता हूं कि इससे सिर्फ वक्त जाया होगा। इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं

[श्री राम दास]

दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि इस छूआछूत को दूर करने के लिये जितनी जरूरत हाई कास्ट हिन्दुओं को परिश्रम करने की है उतनी हरिजनों को नहीं है । यह छूआछूत का कलंक तो उनके माथे पर है । अगर वह इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो उनको खुद चाहिये कि वे जल्दी से जल्दी इस कलंक को अपने माथे से दूर कर दें । अगर वह यह पसन्द करते हैं कि सौ दो सौ साल तक यह कलंक और उनके माथे पर रहे तो जो जो तकलीफें इसके सबब से हमारी कौम ने उठाई हैं उससे भी ज्यादा बदतर हालत आयेगी । मैं समझता हूं कि इस वक्त भारतवासियों के साथ जो दूसरे लोग सलूक कर रहे हैं वह इसका ही एक नतीजा है । इस वक्त तकरीबन हर मुल्क से हिन्दुस्तानियों को निकालने की कोशिश हो रही है । किसी न किसी ढंग से उनको निकालने की कोशिश हो रही है । कोई न कोई कानून बना कर, कोई न कोई तरीका अख्तियार करके उनको वहां अछूत बनाया जा रहा है । जैसे यहां हमने अछूतों की बस्तियां जुदी बनायी हैं उसी तरह से ईस्ट और साउथ अफ्रीका के अन्दर यह कोशिश हो रही है कि हमारी बस्तियां भी उन लोगों से अलहिदा हों, हम उनके बाजारों में अपना बिजनेस न कर सकें, हम उनके इलाकों के अन्दर जमीनें न खरीद सकें । ऐसा क्यों हो रहा है ? यह इसलिये हो रहा है, जैसा कि किसी ने कहा है, कि

"Evil recoils on the doer"

जो बदी करता है बदी वापिस उसके ऊपर आती है और उसको उसका नतीजा भोगना पड़ता है। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह छूआछूत को दूर करने का सवाल उतना हरिजनों का नहीं है जितना कि यह कास्ट हिन्दूज का है । अभी एक आनरेबिल मैम्बर ने उठ कर कहा :

"I am prepared to marry a Harijan girl."

May I know whether he is prepared for the reverse also?

अगर नहीं तो उनकी लड़की के अन्दर और दूसरी लड़की के अन्दर क्या तफरीक है । वह डिस्क्रीमिनेशन है जिसके खिलाफ हरिजन फाइट करेगा । अब हरिजन के अन्दर इतनी जागृति पैदा हो चुकी है कि अगर आप इस कलंक को जल्दी से जल्दी दूर नहीं करेंगे तो मुल्क के अन्दर इस किस्म की तहरीक शुरू होगी, इस किस्म की मूवमेंट पैदा होगी जिसका कि नतीजा निहायत खराब होगा । हम कम्युनलिज्म से और सैक्टेरियनिज्म से तंग आये हुए हैं । जिन्होंने प्रधान मंत्री की तकरीर उस दिन पार्टी मीटिंग में सुनी है वह जानते हैं कि इस वक्त सब से बड़ी चीज जो उनके दिल को दुःख दे रही है वह फिरकापरस्ती है जो कि हमारे मुल्क में है । लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक एक ऐसी चीज पैदा होगी कि जिसका इलाज करना फिर बहुत मुश्किल हो जायगा ।

महात्मा गांधी ने और दूसरे रिफार्मर्स ने इसके लिये बहुत जोर लगाया । उन्होंने हिन्दुओं को समझाया कि यह बुराई दूर करनी चाहिये । अब कानून के जरिये से उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है । इसमें शक नहीं कि इस किस्म की सोशल बुराइयों को कानून उस हद तक दूर नहीं कर सकता है जितनी कि उसकी मंशा होती है । और इस जगह भी यही भय प्रकट किया गया है कि यह बिल तो पास जरूर हो जायगा लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगा । मुझे भी इसमें शक है क्योंकि इसके इंप्लीमेंट करने वाले वही लोग हैं जिनका यह इंटरेस्ट है कि इस छूआछूत को दूर न किया जाय । कोई तो उसको इस सबब से नहीं चाहते कि वह यह मानते हैं कि उनका धर्म यही कहता है । लेकिन उनकी तादाद अब इस मुल्क में बहुत कम है । कुछ लोग इकोनोमिक तौर पर ऐसा मानते हैं कि अगर यह लोग इस तरह से आगे आ जायेंगे तो हमारे लिये भी मुश्किल पैदा हो जायगी । इसलिये उनका भी वैस्टेड इंटरेस्ट यही चाहता है कि जहां तक हो सके इसको रिटार्ड करना चाहिये । वह नहीं चाहते कि यह बिल जो पास किया गया है उसके जरिये इस बुराई को इतनी जल्द खत्म कर दिया जाय । हम देखते हैं कि इस वक्त

भी बहुत से राज्यों में ऐसे बिल पास किये हुए हैं जो कि बहुत हद तक इस बिल के मंशा को पूरा करते हैं। किन्तु जब इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात आती है तो वह सारी की सारी बात फेल हो जाती है। अगर हरिजन अपनी किसी तकलीफ की रिपोर्ट करने थाने में जाता है तो वहां रिपोर्ट लिखने वाला कौन है ? यह वही है जो उसके मुखालिफ हैं। अगर वह किसी हाकिम के पास जाता है तो वह कौन है ? शायद वह भी ऐसा आदमी है जो इस बात में यकीन रखता है कि हरिजन को यह हक नहीं मिलना चाहिये। इसलिये अगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि यह बिल पास करने के बाद इसका ठीक तौर पर इंप्लीमेंटेशन भी हो सके तो गवर्नमेंट को कोई इस किस्म की स्कीम बनानी होगी और इस किस्म के आफिसर्स और इस किस्म की मैशिनरी पैदा करनी होगी कि जिनके दिल में इस बात की लगन हो कि छुआछूत इस मुल्क से मिट जानी चाहिये। अगर इस किस्म के लोग मुकर्रर न किये गये और उनको ऐसा अख्तियार न दिया गया तो इसमें शक नहीं कि इसके इम्पलीमेंटेशन में बहुत देर लगेगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि हरिजनों की इकोनोमिक हालत को बेहतर बनाने के लिये गवर्नमेंट को बहुत कोशिश करनी चाहिये। जहां किसी का इकोनोमिक स्टेटस अच्छा हो जाता है वहां दूसरी सोशल सहूलियतें उसको मिल जाती हैं और सोसाइटी उनको दे देती है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस बात के ऊपर पूरा पूरा जोर नहीं दे रही है कि उनकी इकोनोमिक हालत जल्दी से जल्दी दुरुस्त हो जाय। गवर्नमेंट ने सरविसेज के अन्दर और दूसरी जगहों पर उनका कोटा मुकर्रर किया हुआ है लेकिन हम देखते हैं कि कोटा पूरा नहीं होता और उसके अन्दर तरह तरह की अड़चनें लगायी जाती हैं। अभी मेरे पास एक केस आया था। एक शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी ने पबलिक सरविस कमीशन के पास दरख्वास्त भेजी और वह उस पोस्ट के लिये क्वालीफाइड था जिसके लिये दरख्वास्तें मांगी गयी थीं लेकिन उसको वहां से जवाब आया कि तुम ओवरएज हो, हालांकि उसको ओवरएज होने के लिए अभी तीन साल और थे। जो कन्सेशन हरिजनों को मिला हुआ है उसके मुताबिक वह ओवरएज नहीं था जब कि और लोग उस उम्र पर ओवर-एज हो जाते हैं। जब मुझे यह बात मालूम हुई और मैं ने ऊपर लिखा कि यह क्या किया गया है तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गयी। मैं कहता हूं कि गलती नहीं हुई। वहां पर कोई आदमी इस किस्म का बैठा हुआ है कि जो यह नहीं चाहता कि हरिजन इस पोस्ट पर आ जायें। गांव के अन्दर हम देखते हैं कि लोग इस बात को पसन्द नहीं करते कि हरिजन फौज के अन्दर सूबेदार हो कर, वरदी पहन कर, तमगे लगा कर, अकड़ कर हमारे गांव से हो कर निकल सके। वह यह नहीं पसन्द करते कि ये लोग अच्छे कपड़े और आभूषण पहन कर हमारे दरम्यान से गुजर सकें। यह बात अभी भी गांवों के अन्दर मौजूद है। शहरों के अन्दर कुछ सहूलियत मिल गयी है लेकिन गांवों के अन्दर यह बुराई उतनी ही फैली है जितनी कि इस मुल्क के अन्दर कभी थी। इसलिये मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि यह जो डाइलेटरी सरकुलेशन मोशन है इसको मंजूर नहीं करना चाहिये और जहां तक हो सके इसके इंप्लीमेंटेशन के लिये ऐसी मैशिनरी पैदा की जाये और ऐसे अफसर रखे जायें जिनका हित इस बात में हो कि यह काम हो जाय और वह इसके लिये अपने दिल से महसूस करते हों। अगर ऐसा किया जायगा तो इस बिल का पास करना मुफीद होगा वरना इस कलंक को धोने में बहुत देरी लगेगी जो कि हमारे माथे पर मौजूद है।

Mr. Chairman: Before I call upon the next hon. Member to speak, I may bring a matter of some importance before the House.

Now, we discussed this motion about reference to the Select Committee on Friday the 28th instant, and then again we are discussing it today up to 10·45. I would like to know the mind of the House—if they propose to finish today or they want to proceed with the discussion for tomorrow also?

Several Hon. Members: Yes.

Sardar A. S. Saigal (Bilaspur): May I submit that this is an important Bill?

सेठ गोविन्द दास (मंडला-जबलपुर—दक्षिण): मैं समझता हूं कि इस पर और अधिक समय मिलना चाहिये । पहली बार सिर्फ एक घंटा मिला और . . . .

Mr. Chairman: Order, order. I have heard the hon. Member. Then I understand that the House wants that the discussion may continue tomorrow.

Several Hon. Members: Yes.

Mr. Chairman: So, we will finish tomorrow. It will conclude tomorrow.

Shri S. N. Agarwal.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): So, the House stands committed to that.

श्री एस० एन० अग्रवाल (वर्धा) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये यह बिल संसद् के सामने पेश हुआ है । यूं तो हमारे विधान में छुआछूत की जो भावना है उसको गैरकानूनी करार दिया गया है लेकिन हम यह जानते हैं कि इसके बावजूद आज हमारे देश में यह भावना दूर नहीं हुई है खास तौर से हमारे देहातों में जब कभी हम जाते हैं तो पाते हैं कि आज भी हरिजनों को कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है । अगर पुलिस से पूछताछ करते हैं तो अछूतों को डराया, धमकाया जाता है और उनसे यह भी कहला दिया जाता है कि उनको कोई शिकायत नहीं है, इसलिये कानून के हिसाब से पुलिस कुछ खास कार्यवाही करने में भी असमर्थ हो जाती है । इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं कि जिन को देख कर बहुत दुःख होता है । कुछ ही महीने पहले हम भूले नहीं हैं कि किस तरह आचार्य विनोबा भावे जब देवघर के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे हरिजनों के साथ तो किस तरह जोरों से उन पर वहां के पंडों ने हमला किया था और जहां तक मेरी जानकारी है, एक तरह से ईश्वर ही ने उनको बचाया नहीं तो उनको मार डालने में कोई कसर नहीं रक्खी गयी थी । इस तरह से आज भी इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हों, बनारस में भी कुछ घटनाएं चल रही हैं, यह हमारे लिये सचमुच एक बहुत शर्म की बात है । यह हम समझते हैं कि हमारा देश राजनैतिक दृष्टि से आजाद हुआ लेकिन हमारे राष्ट्रपिता ने हमको बतलाया कि जब तक हमारे देश में सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता और समानता नहीं होगी तब तक वह आजादी मुकम्मिल नहीं कही जा सकती और मैं यह समझता हूं कि यह जो बिल हमारे सामने पेश किया गया है यह कुछ जल्दी नहीं है किसी भी तरह से और शायद अच्छा होता अगर विधान के पास होने के बाद ही यह बिल अभी तक कभी का आ गया होता और इस पर अमल भी हो जाना चाहिये था, क्योंकि आखिरकार यह इतना बड़ा कलंक है कि विदेशों में अगर आप जायं तो माथा नीचे झुकाना पड़ता है । जब हम नीग्रोज की बातें करते हैं तो हमको सुनना पड़ता है कि आपके यहां क्या है । मैं यह समझता हूं कि हमको स्वीकार करना चाहिये कि छुआछूत सिर्फ एक सामाजिक चीज नहीं रह गयी है, लेकिन यहां लोग जो इसको मानते हैं कहते हैं कि सिर्फ इसमें सफाई का सवाल नहीं है । अगर एक अछूत को वह छू लें तो वह समझते हैं कि उनका आध्यात्मिक और आत्मिक भी कुछ पतन होता है । इससे ज्यादा खराब और लज्जाजनक बात और हो नहीं सकती । मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि इसके जो प्राविजन्स हैं सजा के बारे में उनके बारे में सिलेक्ट कमेटी और विचार करेगी। एक सदस्य ने अभी जैसे कहा मैं समझता हूं कि जो सजायें रक्खी गयी हैं वह बहुत कम हैं । यह इतना बड़ा एक पाप जो कि न सिर्फ समाज के खिलाफ है बल्कि यह मनुष्य मात्र के खिलाफ है और धर्म और ईश्वर के खिलाफ भी यह एक पाप है और इसके लिये जितनी सजा दी जाय

वह थोड़ी होगी । मैं पूछता हूं कि कोई इतनी बड़ी बात करे कि मंदिर में न घुसने दे, स्कूल में न पढ़ने दे, अस्पताल में न जाने दे, उसके लिये सिर्फ पांच सौ रुपये जुर्माना दे, यह एक मजाक सा लगता है और मैं समझता हूं कि एक हजार तो करें ही अगर और ज्यादा जुर्माना न हो और साथ ही जुर्माने के एक साल की सजा आप अनिवार्य कर दें, क्योंकि अकेले फाईन पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि अगर कोई सनातनी भाई है, लखपती, करोड़पती है, वह देश का और मनुष्य मात्र का अपमान करता है उसको पांच सौ या हजार देकर छुटकारा नहीं मिल जाना चाहिये । जेल तो कम से कम होना ही चाहिये, उसके बारे में आप्शन नहीं देना चाहिये ।

10 A.M.

दूसरी बात मकानों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में हरिजन बस्तियां इतनी छोटी हैं कि उनको और जगह गांव में मकान बनाने के लिये मिलती ही नहीं है । लोग बेचते हैं लेकिन हरिजनों को नहीं बेचेंगे, चूंकि वह उनकी और जो दूसरी बस्ती है, उसके बीच में वह मकान उनको नहीं बनाने देते और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हम बात करते हैं कि बड़े बड़े शहरों में हाउसिंग डिफिकल्टी है, मैं समझता हूं कि हरिजनों के लिये गांव में जितनी रहने की दिक्कत है उतनी बड़े बड़े शहरों में और लोगों को क्या होगी । शहरों में भी मकानों के सामने "टु लेट" लिखा रहेगा, लोग अखबारों में विज्ञापन निकालते हैं लेकिन जैसे ही कोई हरिजन भाई जायगा और उनको मालूम पड़ेगा कि यह हरिजन है तो झूठ कह देंगे कि मकान उठ गया या कहेंगे कि हम सोच कर बतायेंगे । मैं इसके बारे में बिल में कोई जिक्र नहीं देखता हूं । यह ठीक है कि आप मंदिर में उनको जाने की इजाजत दें, वैसे मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं कितने वर्षों से किसी मंदिर में नहीं गया हूं जहां कि हरिजनों को नहीं जाने दिया जाता है । मैं समझता हूं कि उस मंदिर में देवता ही नहीं रहते जहां मनुष्य मनुष्य के बीच में फर्क और भेदभाव किया जाता है । लेकिन यह अलग बात है । जो रहने की जगह है वहां अगर इस तरह का कोई भेद किया जाय तो उसका जिक्र जरूर इस बिल में करना चाहिये, शहरों और देहातों दोनों के लिये ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस बिल को तो हम पास करेंगे ही, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन संसद् के सदस्यों की हैसियत से हमारा फर्ज उतने में ही अदा नहीं हो जाता है । हमारा यह काम है, कर्त्तव्य है कि अगर सचमुच हम चाहते हैं कि यह छुआछूत की भावना देश से चली जाय और यह कलंक हमारे माथे पर से हट जाय तब हमारे लिये यह जरूरी है कि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में और देश भर में संसद् सदस्यों की हैसियत से हम एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश करें कि लोगों के दिल व दिमाग से यह बुराई निकल जाय । सिर्फ कानून से ही यह बात होने वाली नहीं है । आखिर शराबबंदी का हमने देखा कि क्या हुआ ? कानून आप बना दीजिये, लेकिन जब तक लोगों में उसके लिये सामाजिक प्रचार न किया जाय, रचनात्मक कार्य न किया जाय तब तक यह चीज सिर्फ पुलिस के हाथ में देने से खत्म नहीं होगी । जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि हरिजनों के ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है और उनको इतना परेशान किया जाता है कि उनके मुंह से कहला लिया जाता है कि उनको कोई शिकायत नहीं है । मैं जानता हूं कि ऐसी हालत पैदा हो जाती है जिस में पुलिस या मजिस्ट्रेट कुछ भी नहीं कर सकते हैं । इसलिये यह बहुत जरूरी है कि जैसा गांधी जी हमको बताते थे कि अगर इस चीज को मिटाना है तो कुछ लोगों को त्याग करना पड़ेगा, शायद कुछ लोगों को जान भी देनी पड़े । इस छुआछूत को लोगों के दिल और दिमाग से निकालने के लिये मैं हरिजन भाइयों से भी कहूंगा कि हरिजन असेम्बलीज में जायें, पार्लियामेंट में जांय, पबलिक सर्विस कमीशन में मेम्बर हो जांय, मिनिस्ट्रीज में

[श्री एस० एन० अग्रवाल]

हां, वह सब ठीक हैं और होना चाहिये, लेकिन खाली इससे काम नहीं चलेगा, जब तक करोड़ों हरिजन जो गांव में रहते हैं उनके दुःख दर्द को आप न सोचें कि वह किस तरह से रहते हैं। आज न उनको मकान बनाने की इजाजत हैं और न पानी भरने की इजाजत हैं। जब तक हम इन बातों के ऊपर जोर की आवाज नहीं उठायेंगे तब तक एक कमेटी का मेम्बर होने से यह मसला हल नहीं होने वाला हैं। इसलिये मैं सब सदस्यों से यही अपील करूंगा कि जब हम इस बिल को पास करें तो कर्त्तव्य समझ कर करें कि इसको पूरा करने के लिये हमको बहुत तत्परता से रचनात्मक काम समझ कर काम करना पड़ेगा, तभी यह जो कलंक देश के माथे पर हैं, दूर हो सकेगा।

श्री एम० बी० वैश्य (अहमदाबाद---रक्षित---अनुसूचित जातियां) : चेअरमैन साहब, यह जो अस्पृश्यता निवारक बिल हमारे होम मिनिस्टर साहब इस संसद में लाये हैं, उस के लिये मैं उन का अभिनन्दन करता हूं। किन्तु आज भी देश में हम लोगों की क्या हालत हैं इस को लोग नहीं जानते। हमारे श्री कान्त भाई ने जो रंगीली रिपोर्ट निकाली हैं उस में उन्होंने हरिजनों के दुःखों के बारे में लिखा हैं। आज भी हमारे देश में यह दशा हैं कि दक्षिण के एक गांव में पोस्ट आफिस हैं उस में हरिजन लोग जा कर खत नहीं डाल सकते क्योंकि वह रास्ता उन लोगों के लिये निषिद्ध हैं। मोहल्ले की परली तरफ एक पेटी रखी रहती हैं और उस पेटी में जा कर वह खत डालते हैं। अब प्रश्न होता हैं कि वह पोस्ट कार्ड आदि कैसे लाते होंगे ? उस को वह दूने तिगुने पैसे दे कर किसी से खरीद लेते हैं। आज यह भी दशा दक्षिण में हैं कि वह लग्न के अवसरों पर अगर छाता ले कर या पैर में जूते पहन कर निकलते हैं तो पीटे जाते हैं। यह हम लोगों की दशा हैं और ऐसी दशा में अगर आप लोग सोचें कि यह जो बिल संसद में आया हैं उस से इस के लिये कायदा बन जायेगा और अस्पृश्यता दूर हो जायगी तो यह नहीं हो सकता हैं। जब तक हृदय का कायदा न हो तब तक यह काम नहीं हो सकेगा। सरकार और हम सब लोग मिल कर इस को पास कर देंगे लेकिन हमारे हृदय में भी परिवर्तन होना चाहिये। जैसा अभी श्री एस० एन० अग्रवाल ने सुनाया कि बापू ने अपने सारे जीवन में यह कह कर दुनियां को बताया कि मनुष्य को अस्पृश्य मानना बहुत बड़ा पाप हैं और इस के लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये। यह बापू ही कह सकते थे, हम कैसे कहें कि आप लोग प्रायश्चित करें। लेकिन जैसे बापू के तप से हमें स्वराज्य मिला हैं, उसी तरह से राष्ट्रपिता की बात को हम कार्य रूप में लायें।

हमारे सरकारी अफसरों के हाथ में यह बिल जायेगा, वह लोग उस को पुलिस वगैरह की मदद से उस का पालन करायेंगे, लेकिन गांवों में क्या दशा होती हैं यह हम लोगों को मालूम हैं। हां, शहरों में थोड़ी तब्दीली मालूम होती होगी और किन्हीं होटलों आदि में हरिजन चले जाते होंगे। लेकिन गांवों में क्या दशा हैं ? वहां पर हालत यह हैं कि थोड़ी सी हरिजन जनता अगर गांव वालों के विरोध में कुछ गवर्नमेन्ट के अफसरों से कह दे तो उस का वहां रहना मुश्किल हो जाता हैं, उस का बहिष्कार किया जाता हैं। इस तरह की स्थिति होते हुए दुःख होने पर भी वह कुछ किसी से नहीं कह सकते। हां, सरकार ने इस बिल को पास करने का जो फैसला किया हैं वह ठीक हैं। लेकिन सरकारी आफिसरों और हमारे होम मिनिस्टर साहब जब कभी गांवों में चले जाया करें और वहां जा कर देखें कि वह हरिजन मोहल्ले जिन को वर्षों से लोगों ने देखा भी नहीं, वहां क्या क्या मुसीबतें हैं, किस ढंग से वह लोग रहते हैं, किस स्थान पर उन लोगों के रहने की जगह हैं। जहां ढोरों के रहने के लिये भी उस से बेहतर [illegible] होती हैं, ऐसी जगहों पर वह लोग रहते हैं। उन के इर्द गिर्द क्या होता हैं ? वहां सारे गांव का कूड़ा और कचरा डाला जाता हैं। कुएं से पानी लेने के

लिये भी कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। एक दफा हमारे ठक्कर बापा ने एक जगह जा कर देखा कि घंटों तक कुछ हरिजन स्त्रियां कुएं के पास विनती करती रहीं कि हमें थोड़ा सा पानी दो, लेकिन कोई नहीं देता था। यह दशा है आज कल। इस बिल में बहुत सारे समझौते कर डाले हैं कि कुएं पर भी और दूसरी सब जगहों पर भी हरिजनों को यह हक दिया जायेगा, लेकिन नौकरियों में क्या होगा। जब तक हमारी सामाजिक स्थिति ऊंची लाने के लिये हमारे पढ़े लिखे आदमियों को जल्दी से जल्दी हर एक मिनिस्ट्री में और हर एक आफिस में नौकरियां नहीं मिलेंगी तब तक यह छुआ छूत नहीं जायेगी। और अगर उन को नौकरी मिली भी तो वहां क्या दशा होती है यह भी मैं जानता हूं। वहां भी पानी पीने की मुसीबतें होती हैं और जो चौथे दर्जे का सिपाही है पट्टे वाले, उस का काम भी हरिजनों को नहीं दिया जाता है क्योंकि छुआ छूत वहां पर है। अगर सवर्ण पट्टे वाला है तो वह घर में जा कर काम कर सकता है, अरे भाई, वह अछूत पट्टे वाला भी घर में जा कर काम कर सकता है लेकिन घर में कैसे जाने दें? इसीलिये जिन जिन सरकारी आफिसेज में आज कल भी छुआ छूत चल रहा है वह भी दूर होना चाहिये। हम हर एक अपने हृदय से समझें कि छुआ छूत को न केवल इस कायदे से बल्कि इस से अधिक अपने हृदय से, अपने घरों में से, अपने गांवों में से और अपने कुटुम्ब में से हमें दूर करना है। अगर हम हर एक इस छुआ छूत को दूर करने का निश्चय कर लें जो दोनों सदनों के हमारे साढ़े सात सौ सदस्य हैं वह मिल कर लाखों आदमियों तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं कि हम ने संसद् में जो कायदा आया था उस को पास कर दिया है। जो कायदा गवर्नमेन्ट को वर्षों पूर्व लाना चाहिये था, वह अब आ गया है, उस पर ठीक से अमल होना चाहिये। जब तक इस पर पूरी तौर से जोर नहीं दिया जायगा, पूरी तौर से अमल नहीं किया जायगा तब तक यह कायदा, जैसे और कायदे होते हैं, किताबों में ही रह जायेगा। अगर हमारी गवर्नमेन्ट चाहती है कि छुआ छूत को भारतवर्ष से निकाल दिया जाय तो इस के लिये उस को बहुत काम करना होगा।

हमारे श्रीकान्त भाई, जो हमारे पूज्य ठक्कर बापा के शिष्य हैं, हिन्दुस्तान के इर्द गिर्द गांवों में जा कर के भी देखा है कि हरिजनों की क्या दशा है। उन का सारा जीवन ही इस में गया है और हमारे सौभाग्य से उन्हीं को कमिश्नर बनाया गया है, लेकिन एक आदमी कहां तक काम कर सकता है? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कितनी ही स्टेट्स ऐसी हैं कि अगर वह उन को कुछ लिखते हैं तो उस का जवाब ही उन के पास से नहीं आता है, और कोई कोई तो टाल भी जाती हैं कि हमारे यहां तो छुआ छूत है ही नहीं, पर तलास करने पर बहुत सी छुआ छूत वहां दिखलाई पड़ती है। यह सब टालने की बातें हैं। तो हमारे जो सदस्य यहां आये हुए हैं और जो हमारी सरकार है उस से भी मैं विनती करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। हरिजनों के वहां अगर कोई सवर्ण अधिकारी चला जाता है तो यह उन के लिये बड़े आनन्द की बात होती है। मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी पार्टियों में हमारे अफसर चले जायें, इस के अलावा गांवों की हरिजन बस्तियों में भी जा कर हरिजनों की हालत को अपनी आंखों से देखें। आज हरिजनों की तादाद कम नहीं है, पांच सात करोड़ जनता जिस को अछूत बना कर रक्खा गया है, उस को आगे बढ़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये। लोग कहते हैं कि स्कालरशिप मिलते हैं, हां, ऐसे राज्य भी हैं जहां हरिजनों को प्रारम्भिक स्कूल से कालेज तक फ्री एजुकेशन मिलती है, स्कालरशिप भी मिलते हैं, लेकिन साथ साथ में ऐसे स्थान भी मौजूद हैं जहां फ्री एजुकेशन नहीं है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि छुआ छूत इतना अधिक फैला हुआ है कि जिस की हद नहीं है। यहां की बात है कि एक रेजिडेन्ट मैजिस्ट्रेट के कोर्ट के एक कुएं से एक हरिजन ने पानी ले लिया। वहां पुलिस इकट्ठी हो जाती है कि क्यों पानी लिया तुमने। इस को देखते हुए यह कहना दुरुस्त

[श्री एम० बी० वैश्य]

हैं कि दिये के नीचे ही अन्धेरा है । दिल्ली में जब यह बात होती है तो और जगहों की तो बात ही क्या है । इसीलिये होम मिनिस्टर साहब से हमारी विनती है कि अगर इस कायदे को बना कर पुस्तक में ही नहीं रखना है और छुआ छूत को रोकना है तो इस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करना होगा । साथ ही साथ हमारे सदस्यगण जिन के हाथ में छुआ छूत को उठाने का, और उस को दूर करने का पूरा अधिकार है, वह अपने घरों में से, अपनी बिरादरी में से, अपने गांवों में से भी उस को दूर करें ।

अब हरिजनों में यह पूरी समझ आ गई है कि उन को एजुकेशन लेना चाहिये । पहले हमारे माता पिता तो हमें पढ़ाना कबूल नहीं करते थे, हम को खुद ही अपनी शक्ति से पढ़ना पड़ता था । लेकिन आज हरिजन माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन को मदद भी मिल जाती है, लेकिन पढ़ने के बाद जब उन को नौकरी नहीं मिलती, तो वह हताश हो जाते हैं कि अपने छुटपन में तो हम मेहनत करते थे और अपने माता पिता की मदद करते थे, लेकिन इतना हम ने पढ़ा और पढ़ने लिखने के बाद इतनी उम्र होने पर और इतना खर्च करने के बाद भी हम को नौकरी नहीं मिलती है । ऐसी हालत होने पर उन को बड़ा दुःख होता है । इस से हमारे ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट भी हताश हो जाते हैं । हमारे बापू ने कहा था कि हमारे यहां स्वराज्य होने के बाद पहला कायदा जो होगा वह अस्पृश्यता निवारण का होगा । स्वतंत्रता के बाद सात वर्ष तक यह नहीं आ सका, लेकिन आज आ गया है । हरिजनों के लिये हमारे बापू ने यह कहा था कि मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिये अगर मेरा हरिजन कार्य मेरे जीवन में ही खत्म नहीं होता तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे दूसरा जन्म भंगी के घर में मिले जिस से मैं अधूरा काम पूरा कर सकूं । जिस को हम राष्ट्र पिता कह कर पुकारते हैं उस राष्ट्र पिता की यह मनःस्थिति थी । इसी के अनुकूल आप काम कर के दिखावें । आज इस देश में जितनी अस्पृश्यता है उतनी दुनियां में कहीं नहीं है। आप उस को एक कोने से दूसरे कोने तक बिल्कुल निकाल दें ।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद---पश्चिम) : सभापति जी, इस विधेयक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं । इसमें अस्पृश्यता को दूर करने के लिये बहुत से रास्ते बताये गये हैं । हमारे सहयोगियों ने अभी उस दिन और आज कई रास्ते सुझाये हैं । विशेषकर इस बात पर बल दिया है कि इस अधिनियम के स्वीकृत होने के बाद इसकी स्वीकार हुई बातों पर दैनिक जीवन में काम करने पर ध्यान दिया जाय । यह बात मुख्य है । सुनने में तो यह बात साधारण है, परन्तु इसकी आवश्यकता है ।

हरिजनों को देहातों में जो असुविधायें हैं वह हममें से बहुत लोग जानते हैं । नगरों में उनको जो असुविधायें हैं, घर की, कुंवों की, वे हमारे सामने आती ही रहती हैं । मैं तो चाहता हूं कि नगरों में और देहातों में भी हरिजनों के घरों पर विशेष ध्यान दिया जाय । उनको घर बनाने की सुविधा दी जाय । मैं ने पहले किसी दूसरे सम्बन्ध में इस बात पर बल दिया है कि हमारे समाज का रूप, विशेष कर देहाती समाज का रूप, बदलने की आवश्यकता है । जिस प्रकार के हमारे गन्दे गांव हैं वह आज बदलने की आवश्यकता है । सवर्णों के गांवों में भी लोगों के घर गन्दे और एक दूसरे से सटे हुए बने हैं । यह हमारे गांव तो बिल्कुल समाप्त कर देने के योग्य हैं। हम हर घर को अलग अलग रखें । मैं ने सुना है कि जहां आज इस विषय पर ध्यान दिया गया है वहां दीवार से दीवार मिला कर घर नहीं बनाये जाते हैं । अभी हमारे एक मित्र रूस से हो कर आये हैं । उन्होंने बताया कि वहां ग्रामों में घर सटे हुए नहीं बनाये जाते हैं । यह बात हमें बहुत अच्छी लगी । वहां गांव इस तरह के हैं ही नहीं जैसे हमारे देश में हैं । वहां हर घर के साथ भूमि लगी हुई

हैं। इसका कुछ नमूना हम अपने यहां उस राज्य में देखते हैं जिसे तिरुवांकुरकोचीन कहते हैं। उसका नमूना तिरुवांकुर से लेकर कन्या कुमारी तक चला गया है। वह एक लम्बा फैला हुआ बाग सा दिखायी देता है। हरियाली और सौंदर्य बराबर गांवों के साथ मिले हुए दिखायी देते हैं।

डा० काटजू : ऐसा ही बंगाल में भी है।

श्री टंडन : मुझको यह निवेदन करना है कि हमारे गांव वाटिका गांव के रूप में बनें। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ देर लगे। लेकिन कम से कम हरिजनों के लिए छोटे छोटे भूमि के टुकड़े दिए जाएं। आज यह हो सकता है। कठिन कुछ नहीं है, अगर यह हमारे होम मिनिस्टर के दिमाग में आ जाय।

डा० काटजू : मुझ से इसका क्या वास्ता है।

श्री टंडन : यह बिल आप लाये हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि केवल इस बिल को पास कराके आप संतोष न कर लें, कुछ दौड़ धूप करें, कुछ इस बात के लिये चिन्ता करें। गवर्नमेंट कुछ नमूने के गांव बना दे। बतावे कि हमने दो सौ हरिजनों की कैसी सुन्दर बस्ती बना दी है। एक एक घर में आप भूमि दें। मैं तो कहता हूं कि लगभग आधा एकड़ भूमि दें, लेकिन अगर आप आधा एकड़ नहीं दे सकते हैं तो चौथाई एकड़ दें। उनको घर बनाने में आप कुछ मदद करें। ज्यादा नहीं दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत रुपया दें, बाकी वह खुद मेहनत कर लेंगे। लेकिन सौ दो सौ इस तरह के हरिजनों के घर आप बना दें। इससे कोई यह समस्या हल नहीं हो जायगी लेकिन इससे दूसरों को प्रेरणा होगी और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार एक तो मेरा यह सुझाव है कि आप इनके लिये अच्छे घर बनावें। इससे तीन-चौथाई अछूतपन दूर हो जायगा। दूसरा सुझाव भी है। यों तो बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं पर मैं उन में नहीं जाना चाहता। और लोगों ने उनको कहा है और वह इस विधेयक में भी हैं, जैसे कुवों से पानी भरने का मौका देना आदि। इन सब का आज भी लोगों को गांवों में दुःख है। जहां अलग अलग कुएं नहीं हैं वहां यह कष्ट है। आज कुछ सुविधायें बढ़ गयी हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या है जो मनुष्य की प्रकृति से सम्बन्ध रखती है। वह यह है कि हमारे देश में जो गन्दे से गन्दे काम हैं वे आप ने एक जाति के सुपुर्द कर रखे हैं। जितना गन्दा काम है पशु मारने का वह डोम के सुपुर्द है और मल मूत्र साफ करने का कुल काम भंगी के सुपुर्द है। यह एक जाति है जो इस गन्दे काम को करती है। अगर अभी एक भंगी चारों तरफ से बम्बुलिस साफ करके आपके पास आ बैठता है तो तुरन्त आपके मन में एक हिचक होगी। यह स्वाभाविक बात है। आप ने इस काम को करने वालों की एक जाति बना दी है। मेरा निवेदन है कि यह जो आपका सामाजिक ढांचा है इसको बदलने की आवश्यकता है। इसके ऊपर तो गहरे ध्यान देने की जरूरत है। इस विषय में इस बिल से कुछ नहीं बनने वाला है। जीवन का ऐसा क्रम होना चाहिए कि आपको इतने लोगों को हरिजन बनाने की आवश्यकता न पड़े। आज तो आपने इनको काम से हरिजन बना रखा है। जहां म्युनिसिपैलिटी है वहां आप देखिये। दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को देखिये, नयी दिल्ली म्युनिसिपैलिटी को देखिये, इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी, लखनऊ म्युनिसिपैलिटी को देखिये। अगर यह किया जाय कि हरिजनों में जो भंगी जाति है वह अपना काम बन्द कर दे तो आपकी सभ्यता निर्मूल हो जायगी। आपका तो नगर का नगर गंदा पड़ा रह जायगा। आपकी सभ्यता, यह जितना बाहर आप बनाये हुए हैं रंगा चुंगापन, यह सब समाप्त हो जायगा अगर आज भंगी यह तय कर लें कि हम तो पाखाना उठाने का काम नहीं करेंगे। मैं भंगियों को सलाह देता हूं, यहां जो हमारे भाई बैठे हुए हैं और जो अछूत या हरिजन कहलाते हैं, "हरिजन" पहले से अच्छा नाम है, मैं उनको यह सलाह देता हूं कि हरिजनत्व या अछूतपन का नाश तभी होगा जब भीतर से आपके हृदय में निश्चय

[श्री टंडन]

होगा, एक कठोर निश्चय होगा कि हम इस नीचपन को बर्दाश्त नहीं करेंगे । इसकी आवश्यक है। हम सवर्णों को तो सलाह देते ही हैं, मेरी आपको सलाह है कि आप स्वयं अपने को ऊंचा करें और गंदी आदतें छोड़ें । शराब पीना वगैरह, बहुत ऐसी गंदी आदतें बना रक्खी हैं जिनसे आप नीचे गिरते हैं । यह जो जूठा उच्छिष्ट भोजन बचता है, बड़े बड़े नगरों में भोज होते हैं, न्योते और दावतें होती हैं और खाने के बाद जो कुछ पत्तलों में पड़ा हुआ रहता है, उसको भंगी लोग बीन बीन कर ले आते हैं । मैं उनको उच्छिष्ट पदार्थ के गृहण करने से रोकता रहा हूं लेकिन मैं देखता हूं कि हमारे हरिजन भाइयों की उसको खाने की आदत पड़ी हुई है । हमारे भाई क्या राजस्थान के क्या उत्तर प्रदेश के यह दृश्य देखा करते हैं, इसको बंद करने की आवश्यकता है । हम सवर्णों को सलाह देते हैं कि उनको ऊंचा उठायें, लेकिन उन्हें आपस में ही गहरा यत्न करना चाहिये कि वह उस उच्छिष्ट भोजन को, फेंके हुए भोजने को नहीं छुएंगे । यह प्रवृति उनको नीचे गिराती है । इसके अलावा दूसरी बात मैं यह चाहूंगा कि वह पाखाना उठाने का काम बंद कर दें, यह पेशा खत्म हो । है कठिन बात, लेकिन यह होना चाहिये और मेरे लिये तो यह समाज का आदर्श है । मैं चाहूंगा कि मेरा पाखाना कोई दूसरा आदमी न उठावे । मैं खुद उसको उठाऊंगा यह भावना हमारे सवर्ण भाइयों में हो । हमारे हरिजन भाई तय कर लें कि हम इस पेशे को नहीं करेंगे, सेवा भाव से करना और बात है लेकिन हम पेशा इस बात का नहीं करेंगे कि हम दूसरों का पाखाना उठायें और दूसरे जो सवर्ण कहलाने वाले लोग हैं वह यह दावा करें कि हमारा पाखाना भंगी आये तो साफ हो, हमारा घर वह साफ करे, और अगर इनकार करे तो उसको पकड़ पकड़ कर हम जेलखाने भेजें, यह क्रम बिल्कुल नामुनासिब है और बंद होना चाहिये। इसके लिये साहस चाहिये । मैं चाहता हूं कि हरिजन खुद उठें और वह इस स्थिति के विरुद्ध बलवा करें कि एक जाति की जाति पाखाना साफ करने वालों की बना दी गयी है, वह समाज का पाखाना साफ करने से इनकार करें और कहें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अपना अपना पाखाना साफ करो और अपने घरों को साफ करो, तब हमें घरों को आवश्यकता के अनुसार बनाना पड़ेगा और मेरा जो घर का आदर्श है तब वह आ जायेगा । आज गंदे घर, गंदे गांव भरे पड़े हैं । बम्बई और कलकत्ता जैसे गंदे शहर देखता हूं तो मुझे सख्त हैरत और घबराहट होती है और एक नफरत होती है । वहां जो मैं, दो महले और आठ आठ महले मकानों को देखता हूं तो तबियत घबड़ा उठती है कि क्या यह आदमियों के रहने के घर हैं । यह घर इसीलिये बन पाते हैं कि या तो वहां आज पानी से पाखाना खींच खींच कर समुद्र में फेंकने का ढंग चलाया गया है, पाखाना ज़मींदोज करके नीचे नीचे खींच लिया जाता है या भंगी लोग आ कर पाखाना साफ करते हैं । प्रायः यह दोनों तरीके साथ साथ ही चलते हैं । आज बड़े बड़े नगरों में यह हो रहा है । इसीलिये गंदगी है और स्वास्थ्य की हानि है । मेरा कहना यह है कि बिल्कुल एक नये ढंग से समाज बनाना चाहिये, हमें हरिजनों की जरूरत नहीं हो । हमारा मल मूत्र वहीं कच्ची भूमि में चला जाय, भूमि में मल मूत्र जाना प्राकृतिक है और स्वाभाविक है और उससे उत्तम खाद उत्पन्न होती है । हमने अपने रहने सहने का ढंग गलत कर दिया है । अगर हरिजन लोग तैयार हों कि हम गंदा काम नहीं करेंगे तो उनका लाभ है, क्योंकि हरिजनत्व और अछूतपन तभी समाप्त होगा, और उनके द्वारा हमारे उच्च वर्णों को भी बुद्धि आयेगी और ज्यादा सफाई के साथ वे रह सकेंगे । अपने हाथ से जब वह स्वयं अपना गंदा काम करेंगे तो बिलकुल सारे समाज की हालत बदल जायगी और घर बनाने की सूरत बदल जायगी और घर दूसरी तरह से बनेगा, बिना ऐसी भूमि के जहां मल मूत्र गाड़ा जा सके कोई घर तब नहीं बनेगा । इस समस्या का स्थायी हल मैं केवल

इस विधेयक के इन चंद पन्नों में नहीं देखता, इन चास्पांच पन्नों में अछूतपन के दूर करने का स्थायी रास्ता नहीं है स्थायी रास्ता यह है कि जो सबसे छोटा और गंदा काम है जिसके कारण मनुष्य अछूत बन जाता है यानी मल मूत्र साफ करना और पशुओं की लाश ढोना, यह सेवा की भावना से हो तो उचित है लेकिन पैसे का लोभ दे कर किसी एक जाति से यह काम कराना अनुचित है। समाज के परिवर्तन की आवश्यकता है। इसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। हरिजनों के दृढ होने की बात है, हम लोगों को अपना रहन सहन बदलने की बात है और गवर्नमेंट की ओर से मार्ग प्रदर्शन होने की बात है।

Dr. N. B. Khare: Sir, I rise to support this Bill.

Several Hon. Members: In Hindi.

डा० एन० बी० खरे : मैं इस बिल की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं केवल अपनी ही तरफ से नहीं बल्कि जिस संस्था का मैं मेम्बर हूं उस संस्था की तरफ से और एक चितपावन ब्राह्मण होने के नाते उस ब्राह्मण कौम की तरफ से भी जिसकी घोर निन्दा आजकल दुनिया में होती है, उस कौम की तरफ से भी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। हिन्दू महासभा जिसको कि कहा जाता है कि रिवाइवलिस्ट है, वेरी रीएक्शनरी है और जाने क्या क्या उसको नाम दिये जाते हैं उसकी तरफ से भी मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। हमें समझना चाहिये कि यह जो हमारे समाज और देश पर कलंक है, इसमें कुछ और देश और दुनिया के राष्ट्र भी सहभागी हैं, हम इसमें अकेले ही पापी नहीं हैं और दुनिया के बड़े बड़े देश भी इस पाप के भागीदार हैं जैसे कि अमरीका में आजकल भी नीग्रो "लिंच" हो सकते हैं, 'व्हाइट आस्ट्रेलियन पालिसी' मशहूर है, साउथ अफ्रीका में 'मलानिज्म' मशहूर है, अंग्रेजों के देश में भी अभी सूक्ष्म रूप से कुछ 'कलर बार' है ही, ईस्ट अफ्रीका में तो किकियू लोगों का हत्याकांड सरे बाजार शुरू है, इसमें ब्रिटेन को फख्र होता है, ऐसी बातें हैं। ऐसी मिसालें तो बहुत दे सकते हैं, पाकिस्तान में हिन्दू इज्जत के साथ रह नहीं सकते यहां मुसलमान की वैसी हालत नहीं है। यह सब है और दूसरे जो हमने और देशों की मिसाल दी यह सब इसलिये है क्योंकि उनमें जाति द्वेष, वर्ग द्वेष और धर्म द्वेष या रेसियल हेट्रेड है लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां यह रेसियल हेट्रेड नहीं है। हम हरिजन और सवर्ण एक ही राष्ट्र और एक ही धर्म के हैं, यह जरूर है कि धर्म को गलत समझने के कारण हम यह भेदभाव करते हैं लेकिन धर्म को गलत समझना और उस रेसियल हेट्रेड में फर्क है और इसीलिये हिन्दुस्तान और अन्य देशों में इस सम्बन्ध में फर्क है, ताहम कोई हालत भी हो, एक बात स्पष्ट है कि इस कलंक को दूर करने की कोशिश इस देश में सदियों से की जा रही है। यह बिल यहां पर लाना यह कोई पहला मौका नहीं है मध्ययुग काल में भी हमारे महाराष्ट्र में एकनाथ नाम के सन्त और कवि हो गये हैं, उन्होंने अपने पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों के बजाय हरिजनों को भोजन खिला कर उनकी पूजा की थी। यह बात ऐतिहासिक सत्य है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत साधु संतों के नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं जिस संस्था को बिलोंग करता हूं----हिन्दी में अंग्रेजी शब्द ला सकता हूं क्योंकि आजकल तो हिन्दी अंग्रेजी की खिचड़ी चलती है,----उस संस्था के जो मान्यवर नेता लोग थे उन्होंने भी बहुत वर्षों पहले इस काम को अपने हाथ में लिया था और उनके नाम यदि मैं लेना चाहूं तो मेरे सामने पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानन्द आदि के नाम आ जाते हैं और खास कर सावरकर का नाम मेरे सामने आता है जिन्होंने रत्नागिरी में पहला मंदिर बनाया जिसमें हरिजनों को प्रवेश दिलाया और उन्होंने बड़े उत्साह और आग्रह से वहां पर हरिजनों के साथ सहभोजन किया रत्नागिरी के ब्राह्मण बहुत बिगड़े थे लेकिन वीर सावरकर ने उनके बिगड़ने की कुछ परवाह नहीं की। उन का यह तत्व आज भी है, वह क्या है ? हिन्दू समाज में स्पर्शबन्दी, रोटीबन्दी, बेटीबन्दी और धन्धाबन्दी, यह जो चार टैबू हैं वह न होने चाहियें, इसी मत को मैं भी मानता हूं। अभी

[डा० एन० बी० खरे]

मैं ने उठ कर बीच में मजाक किया था, तो हमारे भाई को बहुत बुरा लगा क्योंकि वह मजाक समझते नहीं हैं, अक्ल नहीं उन में । उन को बुरा लगे तो लगे, लेकिन मैं सिन्सिअरली विश्वास करता हूं कि हिन्दुओं का संगठन तभी हो सकता है जब हिन्दू समाज में से यह चार एंब निकल जायेंगे । पता नहीं वह वक्त कब आयेगा, लेकिन आयेगा जरूर । अगर नहीं आयेगा तो हिन्दू समाज जीवित नहीं रहेगा, यह निश्चित समझिये । ऐसी कोशिशें आज भी हो रही हैं । पहले जितना विरोध होता था अन्तर्जातीय विवाह का उतना आजकल नहीं है । आजकल जो उच्च वर्ण के सवर्ण लोग हैं उन में अन्तर्जातीय विवाह होता है । लेकिन एक बात है, विवाह तो सारी दुनियां में एक जैसा है । विवाह यानी :

it depends upon suitability, adaptability, mutual approval, mutual compromise and social status.

यह होना चाहिये और हमेशा रहेगा । कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तू भंगी है और मैं ब्राह्मण हूं । भंगी का कार्य खाली पाखाना साफ करना है । वह कहे कि लड़की उसे दूं ? तो यह हो नहीं सकता और यह होना भी नहीं चाहिये । कोई किसी से खामख्वाह घमंड न करे । जब समाज इस प्रकार का होगा, जैसा टंडन जी ने बताया यह कब होगा, यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर हो तो मुझे उस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जरा असम्भव सा मालूम होता है । यही फर्क है । मुझे इस का खास चाव है, मैं बड़ा पुराना पापी हूं, पुराना कांग्रेस वाला हूं.......

एक माननीय सदस्य : अब थोड़ा पुन्य कीजिये ।

डा० एन० बी० खरे : उस वक्त कांग्रेस की जो हाई कमान्ड थी, सन् १९२२-२३ के बाद जब जेल से बाहर निकाले गए तो महात्मा गांधी ने इस सवाल को हाथ में लिया, मुझे बड़ा फख्र है कि मेरी तबिअत उस आन्दोलन में थी और मैं ने तहे दिल से महात्मा गांधी को सहयोग दिया । चुनांचे उन के दौरे का सिलसिला मेरे प्रान्त से शुरू हुआ और वहां से शुरू होने के बाद सब देश में फैला । इस की मिसाल पहले मैं ने ही देश के सामने रखी, इस का आज भी मुझे गौरव है । लेकिन आज मैं कांग्रेस में नहीं हूं इस का खेद नहीं है, लेकिन गौरव जरूर है । मैं कोई धनवान नहीं हूं, बिड़ला नहीं हूं, लखपती नहीं हूं, लेकिन चूंकि मेरे प्रान्त से यह आन्दोलन शुरू हुआ था इसलिये मैं ने एकमुश्त ६,००० रुपये महात्मा गांधी को दिये, इतनी रकम मेरे प्रान्त में किसी ने नहीं दी । महात्मा गांधी के दौरे के वास्ते मैं ने एक बिल्कुल नई ब्यूक कार खरीदी, यह कार महात्मा गांधी को बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि यह गाड़ी मुझे दे दो । मैं ने कहा कि मैं एक व्यवहारिक आदमी हूं, मैं ने गाड़ी तुम्हारे लिये नहीं खरीदी है, दौरे के लिये खरीदी है । जब तक दौरा होगा आप हमारी गाड़ी अपने पास रखिये, उस के बाद नहीं । मजाक की बात थी । उस के बाद जब मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया मध्य प्रदेश में.......

सरदार ए० एस० सहगल : चीफ मिनिस्टर ।

डा० एन० बी० खरे : नहीं प्राइम मिनिस्टर । फिर उस के बाद क्या हुआ । शुरू से मेरी इच्छा यह थी कि मैं अपनी मिनिस्ट्री में एक हरिजन ले लूं । लेकिन किसी अड़चन की वजह से मैं नहीं ले सका । मेरी वजह से नहीं, औरों के रवैये की वजह से । मौलाना की ओर से मुसलमान को रखने का आग्रह हुआ, लेकिन हरिजन को रखने का आग्रह किसी ने नहीं किया । मेरे दिल की मेरे दिल में ही रह गई । लेकिन एक साल बाद ऐसा मौका आया कि मुझे एक दूसरी मिनिस्ट्री बनाने का काम करना पड़ा, इस मामले में मैं नहीं जाना चाहता बहुत मशहूर किस्सा है । उस वक्त मैं ने मिनिस्ट्री बनाई और एक हरिजन ले लिया और आज वह कौंसिल आफ स्टेट का मेम्बर है, उस का नाम है अग्निभोज । वह मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री नहीं थी, वह नौ दिन का वन्डर था ।

सेठ गोविन्द दास : नवग्रह था ।

डा० एन० बी खरे : नौं दिन के बाद कांग्रेस हाई कमान्ड ने मुझे स्तीफा देने को मजबूर किया, और मैं ने दे भी दिया। मैं आफिस की परवाह नहीं करता था। क्या रखा है पांच सौ रुपये में ? जो पांच हजार कमाता हो, उस को पांच सौ रुपयों से क्या मतलब ? मैं ने लात मार दिया। इस सब बात को देख कर मुझे दुःख होता है। यह बिल मैं समझता हूं कि बड़ा सराहनीय है, लेकिन मुझे डर है कि किसी कानून की किताब की धूल ही न खाता रहे क्योंकि मेरा अनुभव है कि जिस वक्त मैं ने कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनाई थी उस समय भी यही पार्टी थी और यही प्रोग्राम था। अगर मेरी हाई कमान्ड से कुछ नाराजी हुई तो कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि स्तीफा दे दो, दे दिया। हाई कमान्ड ने मेरी नदामत की, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि महात्मा गांधी ने कहा कि तुम ने अपनी मिनिस्ट्री में हरिजन इसलिये लिया कि इस में तुम्हारा सेल्फ इन्टरेस्ट है। मैंने कहा सेल्फ इन्टरेस्ट मेरा है या भीतर की कांग्रेस का ? उन्होंने कहा तुम ने इसलिये हरिजन को लिया है कि तुम को उन का सपोर्ट मिले और अपने स्वार्थ के लिय तुमने उस दलित और अग्यानी जाति में आफिस की अभिलाषा उत्पन्न करके उस जाति के अधःपात की तैयारी की है। आजकल की सरकार का यह तरीका है। यह कहां तक सिन्सिअर है इस के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं ने पूरा तमाशा आप के सामने रख दिया। ऐसी हालत को देखते हुए यह हक हाउस को है कि तय करे कि इस बिल के अन्दर कितनी सिन्सिअरिटी है।

अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मुझे जो कुछ कहना था कह लिया। सिर्फ एक बात सावरकर के शब्दों में कह कर खत्म करता हूं।

I shall appeal to my scheduled caste friends in this House not to rely too much on Governmental promises or on legislative measures or on hopes of executive implementation. I appeal to them to act according to the advice of *Veer* Savarkar. He has urged them to shed their interim inferiority complex. *Veer* Savarkar as President of Ratnagiri Mahar Conference in 1931 appealed to our scheduled caste friends in the following terms:

> "Your weakness is worse than the wickedness of the caste Hindus. For your own welfare you must also suffer with fortitude and faith. You want rights, but you are not prepared to pay the price. Be men. Know that you are men. If someone scolds you for your proximity on the public road, tell him that the public road is not the property of his father. Do not abandon your occupations. Stick to them and improve them. Every occupation has its value. Live a clean and temperate life. Never disown your fathers, saints and blood. Do not observe untouchability among yourselves. Always treat with equality and kindness all the sub-castes amongst your own so-called Depressed Classes. That is also your duty. Forget it not."

Shri Laskar (Cachar-Lushai Hills—Reserved—Sch. Castes): Sir, I rise to support this Bill but I oppose the Motion to circulate the Bill for the purpose of eliciting public opinion because that will involve some delay. I believe the Members of the Select Committee will surely make some improvements and modifications.

In supporting the Bill I would like to bring out certain points. We have attained freedom and we have also passed our Constitution. In the Constitution it is also provided that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The 'Father of the Nation' Mahatma Gandhi, made this almost his life work. He spent much of his time in the *bhangi* colonies. Again, our hon. Prime Minister has spoken a great deal about this. He has given much stress against casteism, untouchability and other things in his recent speeches. I do not like to mention other things but I would like to draw the attention of the House to the report of Shri Srikant, Commissioner for the

[Shri Laskar]

Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He has mentioned in his report, elaborately and without any hesitation, about the true conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Mr. Chairman: The hon. Member may continue tomorrow.

GOVERNMENT ORDER MODIFYING DECISION OF LABOUR APPELLATE TRIBUNAL ON BANK DISPUTES

Mr. Chairman: Let us proceed to discussion on Government Order modifying the decision of the Labour Appellate Tribunal on bank disputes.

I would just bring to the notice of the House that we have got 2½ hours at our disposal and the number of those who want to take part in this debate consists of more than 10 Members. Even if we allow each Member to Speak for, say, 10 to 15 minutes, it would not be physically possible to allow more than 10 Members to take part in it. I would, therefore, request all hon. Members, who take part in this debate, to kindly take only the minimum time they possibly can. I hope that the ordinary time taken will not exceed fifteen minutes, but in special cases, it may be extended to twenty minutes. I think this will satisfy all hon. Members who propose to take part in the debate.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta—North-East): I hope I have an allotment of twenty minutes.

We have sponsored this discussion in order to secure, if we can, the reopening by Government of the question of its modification of the Labour Appellate Tribunal's Bank Award and also to warn that, if it is not done, very serious consequences might rightfully and inevitably follow. On this issue, many Members of the Government Party are with us. I hope that my friend, Shri K. P. Tripathi, will speak in this discussion, because only this morning I found from a contribution, which he has made to a local journal, a very important series of points which would help a real understanding of the problem that we are discussing.

We have heard of differences inside the Cabinet, but as far as I am concerned, I have no illusion on that point. I am sure if Mr. Giri, for example, speaks, he will say some honeyed words reminding me at any rate of the lines of Lewis Carroll;

> "I weep for you" the Warlus said.
> "I deeply sympathise";
> With sobs and tears he sorted out
> Those of the largest size; Holding
> his pocket-handkerchief Before his
> streaming eyes.

We have had a spate of such demonstrations and I have no illusions. The Cabinet is united, with granite-like determination, in order to implement the decision which they have announced. Anyhow, the worst fears that were entertained by bank employees when some three months ago, Government extended, by ordinance, the time given to it under the Industrial Disputes Act to consider the award, have been confirmed by the latest order. Government has changed a bad award for one which is very much worse. Government has drastically cut the dearness allowance and other emoluments awarded to bank employees by the Labour Appellate Tribunal. Government has totally exempted banks situated in areas with a population of less than 30,000 in Part B and certain Part C States from the operation of this award, even as modified by Government, and it has also exempted, for somewhat mysterious reasons, an institution called the United Bank of India in the same day. The tycoons of Indian banking have been showing their teeth and venting their wrath at the insolence of the employees fighting for their bread and fighting for their rights, and Government has listened very dutifully to their 'Master's Voice'. I have not got the time to go into the details regarding